न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर रेलवे लखनऊ

उपस्थित – रणविजय सिंह उ0प्र0 न्यायिक सेवा

I.D.NO-UP2064

सरकार बनाम **राम अचल।**

वाद संख्या–**1606 / 2022**
अपराध संख्या–**81 / 2021**
धारा – **379,411** भा0दं0सं0
थाना – **जी.आर.पी.** चारबाग।

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत आपराधिक वाद में थाना **जी.आर.पी. चारबाग,** जनपद लखनऊ के विवेचक द्वारा **राम अचल** के विरूद्ध धारा–**379,411** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

अभियुक्त आज पुकार पर न्यायालय उपस्थित आया और उसने एक प्रार्थना–पत्र अपने जुर्म की स्वीकारोक्ति हेतु प्रस्तुत कर उक्त वाद जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारित करने की याचना की गयी। अभियुक्त का बयान मुल्जिम बनाया गया, जिसमें उसने स्वेच्छया अपने जुर्म को स्वीकार किया तथा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद निस्तारित करने की याचना की गयी।

अभियुक्त **राम अचल** द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे अपराध अंतर्गत धारा–379,411 भा0दं0सं0 में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जेल में है। दण्ड के बिन्दु पर तर्क प्रस्तुत किये जाये।

(रणविजय सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे लखनऊ।

दि0–**22.03.2023**

I.D.NO-UP2064

सजा के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुना।

अभियुक्त का कथन है कि वह गरीब परिवार का व्यक्ति है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नही है। वह घर मे अकेले कमाने वाला व्यक्ति है। अब वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है। अतः जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसके वाद का निस्तारण करने की कृपा करें। वह दौरान विचारण दिनांक **04–09–2022** से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियोजन पक्ष के द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य गंभीर प्रकृति का है। अतः उसे अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पर वादिनी का का पर्स चोरी करने व उसकी बरामदगी का आरोप सिद्ध है, तथा अभियुक्त दौरान विचारण जिला कारागार में निरूद्ध रहा है। पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं जेल

में बिताई गई अवधि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्नवत् दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राम अचल को अपराधा अंतर्गत धारा–379,411 आई0पी0सी0 में दोषी पाते अपराध अंतर्गत धारा–379 आई0पी0सी0 कारित करने हेतु सात माह के कारावास एवँ दो हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड की धनराशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त को सात दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

अपराध अंतर्गत धारा–411 आई0पी0सी0 कारित करने हेतु सात माह का कारावास एवँ दो हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड की धनराशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त को सात दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ चलेंगी। दौरान विचारण जेल में बिताई गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाये।

अभियुक्त का सजायावी वांरट जिला कारागार भेजा जाये।

(रणविजय सिंह)
दि0 **22–03–2023** अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे लखनऊ।
I.D.NO-UP2064

उक्त निर्णयादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(रणविजय सिंह)
दि0 **22–03–2023** अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे लखनऊ।
I.D.NO-UP2064